

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या -31
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

महिलाओं के लिए विद्यालय खोलने हेतु प्रदान
की जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती

†31. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महिलाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोलने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से ऐसे महिला विद्यालय चलाए जा रहे हैं; और

(घ) ऐसे विद्यालयों के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2018-19 से प्रभावी, स्कूल शिक्षा के लिए एक केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना 'समग्र शिक्षा' कार्यान्वित कर रहा है। समग्र शिक्षा के तहत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का प्रावधान है जो (केजीबीवी) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे जैसे वंचित समूहों की लड़कियों के लिए (बीपीएल)छठी से बारहवीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय हैं। भारत में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 5133 केजीबीवी कार्यरत हैं, जिनमें 7.11 लाख लड़कियों का नामांकन है। इन 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची अनुलग्नक में दी गई है। सभी शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में केजीबीवी अनुमोदित किए गए हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। केजीबीवी के संचालन और प्रबंधन से संबंधित मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। डीओएसईएल समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चूंकि केजीबीवी समग्र शिक्षा का घटक है, इसलिए इसे समग्र शिक्षा योजना के समान ही संचालित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, नवोदय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी सहशिक्षा व्यवस्था में लड़कियों को आवासीय शिक्षा की सुविधा प्रदान - करते हैं।

"महिलाओं के लिए विद्यालय खोलने हेतु प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौतीके संबंध " में माननीय संसद सदस्य श्रीईश्वरस्वामी के द्वारा दिनांक 25.11.2024 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के भाग)क) से (घके उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक (

क्र. सं.	केजीबीवी वाले राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/
1	आंध्र प्रदेश
2	अरुणाचल प्रदेश
3	असम
4	बिहार
5	छत्तीसगढ़
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
7	गुजरात
8	हरियाणा
9	हिमाचल प्रदेश
10	जम्मू और कश्मीर
11	झारखंड
12	कर्नाटक
13	केरल
14	लद्दाख
15	मध्य प्रदेश
16	महाराष्ट्र
17	मणिपुर
18	मेघालय
19	मिजोरम
20	नागालैंड
21	उड़ीसा
22	पंजाब
23	राजस्थान
24	सिक्किम
25	तमिलनाडु
26	तेलंगाना
27	त्रिपुरा
28	उत्तर प्रदेश
29	उत्तराखंड
30	पश्चिम बंगाल